25/01/2021

न्यायालय अपर समाहर्त्ता-सह- अपर जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा

उत्पाद कन्फिसकेशन वाद संख्या- 45/2020

राज्य बनाम आदित्य कुमार उर्फ पिन्टु एवं अन्य

-: आदेश :-

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के पत्रांक 247/म0नि0, दिनांक 26.02.2020 के द्वारा मधेपुरा (पैलाद) थाना कांड सं0 105/19 दिनांक 28.01.2019, धारा 30 ए0 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् जप्त मोटर सायकिल निबंधन सं0 BR-43C-8591 को राजसात करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा के न्यायालय में उत्पाद कन्फिसकेशन वाद सं0 45/2020 दायर कर अगली सुनवाई कर वाद निष्पादनार्थ अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दिनांक 12.03.2020 को स्थानान्तरित किया गया। अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में वाद को पंजीकृत कर प्रतिवादी को निबंधित डाक से सूचना भेजी गई। निबंधित डाक से सूचना भेजे जाने के बावजूद प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। प्रतिवादी को वाद के निष्पादन के अभिरूचि नहीं लेने के कारण एक पक्षीय सुनवाई की गई एवं आदेशार्थ रखा गया।

प्राप्त प्रस्ताव में प्रतिवेदित किया गया है कि तलाशी लेने पर जप्त मोटर सायकिल निबंधन सं0 BR-43C-8591 के हैण्डिल में लटका हुआ एक झोला से 24 पीस 200 एम0एल0 वाला झारखंड निर्मित मशालेदार देशी शराब कुल 04 लीटर 800 एम0एल0 शराब बरामद किया गया। इस मामले में संलिप्त आदित्य कुमार उर्फ पिन्टु पे0 स्व0 राम सेवक प्रसाद सिंह सा0 बनचोलहा (भगवानपुर) थाना बैजनाथपुर, जिला- सहरसा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। प्राप्त प्रस्ताव में जप्त मोटर सायकिल निबंधन सं0 BR-43C-8591 को राजसात करने की अनुशंसा की गई है।

विद्वान उत्पाद अधिवक्ता को सुना।

राज्य सरकार की ओर से उत्पाद अधिवक्ता का कहना है कि पुलिस प्रतिवेदन एवं प्राथमिकी के अनुसार जप्त मोटर सायकिल निबंधन सं0 BR-43C-8591 के हैण्डिल में लटका हुआ एक झोला से 24 पीस 200 एम0एल0 वाला झारखंड निर्मित मशालेदार देशी शराब कुल 04 लीटर 800 एम0एल0 शराब बरामद होने का उल्लेख किया गया है। स्पष्ट है कि जप्त मोटर सायकिल से शराब का अवैध कारोबार किया जाता था। विद्वान सरकारी उत्पाद अधिवक्ता द्वारा शराब की तस्करी के आरोप में जप्त मोटर सायकिल निबंधन सं0 BR-43C-8591 का राजसात करने का अनुरोध किया गया।

अभिलेख के साथ उपलब्ध कराये गये साक्ष्य का अवलोकन किया गया।

जप्त मोटर सायकिल निबंधन सं0 BR-43C-8591 के हैण्डिल में लटका हुआ एक झोला से 24 पीस 200 एम0एल0 वाला झारखंड निर्मित मशालेदार देशी शराब कुल 04 लीटर 800 एम0एल0 शराब बरामद किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि जप्त मोटर सायकिल से शराब का अवैध कारोबार किया जाता था। प्रतिबंधित सामग्री को लेकर वाहन में लाद कर चलना या उसे ढ़ोने के उपयोग में लाना दोनों ही दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56 (घ) एवं बिहार मद्य निषेध और उत्पादन (संशोधित) अधिनियम की धारा 13 (अ) के अनुसार उक्त मोटर सायकिल का उपयोग शराब ढ़ोने में प्रयुक्त होने के कारण अधिग्रहण योग्य है।

अतः पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से प्राप्त राजसात प्रस्ताव प्रतिवेदन एवं विद्वान उत्पाद

अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्क से संतुष्ट होकर बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 58 के तहत् उक्त मामले में जप्त मोटर सायकिल निबंधन सं0 BR-43C-8591 को राजसात (confiscate) करने का आदेश दिया जाता है।

अधीक्षक, मद्य निषेध, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे मोटर यान निरीक्षक, मधेपुरा से जप्त वाहन का मूल्य निर्धारण करवा कर उसे न्यूनतम जमा राशि मानते हुए निलामी की कार्रवाई कराएँगे। इस निलामी में भाग लेने वालों में से सबसे अधिक बोली लगाने वाले को ही उच्चतम मूल्य निर्धारित माना जाएगा। वाहन मालिक उस उच्चतम मूल्य का भुगतान कर तथा गाड़ी की निलामी में उपस्थित होकर गाड़ी प्राप्त कर सकते हैं। यदि वे उच्चतम मूल्य को अदा कर देते हैं तो उन्हें वाहन प्रथमतः उपलब्ध कराई जाऐगी, अन्यथा जप्त वाहन उच्चतम बोली लगाने वाले को, उनके द्वारा उक्त राशि का भुगतान करने के बाद दे दी जाऐगी। निलामी की सभी प्रक्रियाएँ पूर्ण होने के उपरान्त वाहन विमुक्ति की सूचना संबंधितों को अपने स्तर देंगे। वाहन निलामी से प्राप्त राशि को राज कोष में जमा करवा दी जाऐगी। उक्त आदेश से विक्षुब्ध पक्ष चाहें तो अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त, उत्पाद, बिहार, पटना के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

इस निदेश के साथ वाद में आगे की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/ अधीक्षक, मद्य निषेध, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, **मधेपुरा (घैलाढ़)** को भेजें तथा एक प्रति जिला के वेवसाईट पर भी प्रकाशनार्थ भेजें।

ह0 —
अपर समाहर्त्ता-सह-
अपर जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

ह0 —
अपर समाहर्त्ता-सह-
अपर जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा।

डी0 बी0 नं0......................../न्याया0, दिनांक ..................../2021

प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष, **मधेपुरा (घैलाढ़)** को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, उत्पाद एवं मद्य निषेध, मधेपुरा को आदेश की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

ह0 —
अपर समाहर्त्ता-सह-
अपर जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा।

डी0 बी0 नं0......89........../न्याया0, दिनांक 25-01-/2021

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सूचना विज्ञान केन्द्र, समाहरणालय, मधेपुरा को Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता-सह-
अपर जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा।